न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 19/2022

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पिण्डवाडा जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री मानाजी जाति मीणा निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमती लीलादेवी पत्नि श्री कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. श्री उमेश पटेल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक से दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 23.01.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा रामपुरा, पटवार हल्का आदर्श डूंगरी, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 510/3 रकबा 2.00 बीघा किस्म बंजर भूमि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश क्रमांक/अभियान/2005/358–62 दिनांक 17.03.2005 के द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 372 तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश पटेल द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:13:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से [illegible] किया गया कि विवादित खसरा नं. 510/3 रकबा 2.00 बीघा किस्म बंजर भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या एक व दो को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की [illegible] आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थीगण सद्भावी काश्तकार नहीं थे एवं

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आवंटित भूमि पर उनका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं किया है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

अप्रार्थी संख्या एक से दो की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश पटेल द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वर्तमान में मौके पर खसरा संख्या 510/3 रकबा 2.00 बीघा पर कब्जा काश्त है। यह है कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या एक व दो को आवंटन हुई थी एवं आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या एक व दो को मौके पर हल्का पटवारी ने कब्जा सुपूर्द किया था। यह है कि अप्रार्थीगण ने अपनी गाढी कमाई का रूपया खर्च कर मेहनत मजदूरी कर उक्त बंजर भूमि को उपजाऊ किया है एवं उक्त आवंटितशुदा भूमि पर सिंचाई हेतु सरकारी योजना से कुंआ खुदवाने हेतु आवेदन करने पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर मनरेगा योजना के तहत राशि स्वीकृत कराकर कुंआ खुदाई की गई। यह है कि अप्रार्थीगण को गलत जगह पर काबिज होना बताकर परेशान किया जा रहा है। उक्त प्रकरण गलत तरमीम होने से तरमीम शुद्धि का है, जिसके लिए अप्रार्थीगण ने कई बार तहसीलदार साहब पिण्डवाडा को निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण के साथ अन्याय की तरफ रहम दृष्टि नही रखकर अपनी गलती छुपाने के लिए यह कार्यवाही प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा अप्रार्थी को उसका अवैध कब्जा बताकर नोटिस दिया गया था जिसका जवाब भी दिया गया था। यह है कि अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि का राजस्व विभाग द्वारा सुपूर्द किए गए कब्जे अनुसार लगातार आज दिनांक तक कब्जा चला आ रहा है एवं गलत तरमीम अथवा विभाग की गलती की वजह से अप्रार्थीगण का कब्जा होना नहीं बताकर सही हकीकत दर्शाए बिना यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारिज किया जाना फरमाकर तथा अप्रार्थीगण के कब्जे अनुसार उसको आवंटित भूमि की तरमीम कर पिछले दस वर्ष से अधिक समय से लगातार कब्जा होने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर अनुग्रहित करावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा रामपुरा, पटवार हल्का आदर्श डूंगरी, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 510/3 रकबा 2.00 बीघा किस्म बंजर भूमि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश क्रमांक/अभियान/2005/358–62 दिनांक 17.03.2005 के द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 372 तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यह है कि पटवारी हल्का आदर्श डूंगरी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.07.2016 के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थीगण का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का आंवटन तिथि से आज तक कब्जा है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त फोटोग्राफ विवादित भूमि के ही है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार पिण्डवाडा से खसरा संख्या 510 की स्पष्ट मौका रिपोर्ट मंगावाई गई, जो उनके पत्र क्रमांक 2022/2020 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो का खसरा संख्या 510 पर वर्तमान में कब्जा काश्त नहीं होकर खसरा संख्या 505 किस्म गै.मु. गोचर की भूमि पर कब्जा काश्त है। अतः तहसीलदार पिण्डवाडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के

...कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:13:36 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो का विवादित खसरा संख्या 510/3 पर कब्जा काश्त नहीं है। यह है कि अप्रार्थीगण के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है।

विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है एवं न ही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कब्जा काश्त किए जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरा पटवार हल्का आदर्श डूंगरी, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 510/3 रकबा 2.00 बीघा किस्म बंजर भूमि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश क्रमांक/अभियान/2005/358–62 दिनांक 17.03.2005 के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:13:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner